

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक-नॉनडिओ-08/2020-31

सेवा में,

श्री धनजय प्रसाद श्रीवास्तव,
पिता-स्व० रामबचन लाल
स्ट्रीट नं०-84, क्वार्टर नं०-43/A
सिमजुरी, चितरंजन
बर्दमान।

धनबाद, दिनांक- 30/7/20

विषय: आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०-139/18-19
संबंधित आपके आवेदन दिनांक-28.02.2019 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन दलील संख्या-1725 दि०- 29.04.95 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या-744(X) 98-99, जमाबंदी संख्या- Vol. No.-2 से निर्गत लगान रसीद सं०-0402343933 वर्ष 2019-20 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी०डी०- 139/18-19 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि मेढ़ा मौजा सं०-251 अंतर्गत खाता सं०- 55 प्लॉट सं०-17 कुल रकबा- 14.9 डी० भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेन्सी अभियन्ता श्री अशोक कुमार की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेगी। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 03 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद से संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर करना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।
माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।


जिस प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्ररनगत भूमि पर मू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू- 2,82,000/- का $\frac{1}{3}$ भाग रू- 94000/- का बैंक ड्राफ्ट सं०- 447065 दि०-27.07.2020 एवं रू 94000/- का दो पोस्ट डेटेड चेक सं०- 852498, 852497 दिनांक- 27.07.2021 एवं दिनांक- 27.07.2022 का जमा किया गया है।

स्ट्रक्चर डिजायन, सोदायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा। प्लान के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी साथ ही प्लानिंग और इलेक्ट्रीकल संबंधित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजात में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।


कार्यपालक अभियन्ता,
नगर निवेशन विभाग,
झमाडा, धनबाद।

30/7/20 30-7-20

RNR CONSTRUCTIONS


Partner

RNR CONSTRUCTIONS


Partner